भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1858

दिनांक 09 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

सूखती नदियों एवं जल भंडारण क्षेत्रों पर अवैध अतिक्रमण तथा सरकारी शिथिलता

1858. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की उन नदियों के नाम जो समुद्र तक पहुंचने से पहले सूख गई हैं अथवा जिनमें पानी नगण्य रह गया है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में झीलों, तालाबों के जीर्णोद्धार और जल संग्रहण हेतु जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) शहरों एवं कस्बों में पेयजल समस्या को देखते हुए विगत पांच वर्षों में वर्षा जल संचयन पर कितना व्यय हुआ है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) क्या गांवों और शहरों में तालाबों और जल भंडारण क्षेत्रों पर हुए अवैध अतिक्रमण की सीमा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): देश में दो प्रकार की नदियां हैं अर्थात् बारहमासी (पेरिनियल) और मौसमी (नॉनपेरिनियल) नदियां। बारहमासी वे नदियां हैं जिनमें पूरे वर्ष जल उपलब्ध रहता है और मौसमी नदियां बारिश पर आधारित नदियाँ हैं, जिनमें जल केवल मानसून के दौरान बहता है। नदी में बहाव एक सक्रिय मापदंड है और यह कई उप-मापदंड पर निर्भर करता है जैसे वर्षा, उसकी वितरण स्थिति, कैचमेंट क्षेत्र में उसकी अवधि और तीव्रता, कैचमेंट क्षेत्र की स्थिति, बेसिन का जलवायु, वनस्पति और जल का निष्कर्षण/उपयोग। केंद्रीय जल आयोग पिछले 20 वर्षों से देश की बड़ी/प्रमुख नदियों के लिए जो वार्षिक बहाव औसत डेटा रखता है, उससे जल की उपलब्धता में कोई विशेष कमी का संकेत नहीं मिलता।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे नदी, झीलों, तालाब और अन्य जल निकायों, तटीय जल अथवा भूमि में निर्वहन से पहले सीवेज और औद्योगिक बहि:स्रावों

का निर्धारित मानकों तक उपचार सुनिश्चित करें, ताकि उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जा सके, जिसमें अवैध अतिक्रमण की पहचान और उसे हटाना शामिल है। जो कि नदी की स्थति को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जल शक्ति अभियान को वर्ष 2019 में जल की कमी वाले ज़िलों में जल संरक्षण के लिए मिशन-मोड अभियान के तौर पर शुरू किया गया था। वर्ष 2021 में, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन को पूरे भारत में विस्तारित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वर्षा जल संचयन, जल निकायों की सूची एवं संरक्षण, जल शक्ति केंद्र, वनीकरण और जन जागरूकता पर ध्यान दिया गया। इसका छठवां संस्करण (2025) सामुदायिक सहभागिता और भूजल पुनर्भरण पर बल देता है, जिसमें केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा चिन्हित ज़िलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, जल संचय जन भागीदारी पहल समुदाय द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढ़ावा देती है। देश भर में 4 मिलियन से अधिक भूजल पुनर्भरण और भंडारण कार्यों की सूचना मिली है। जल संचय जन भागीदारी, विवरण https://jsactr.mowr.gov.in/JSJB/ पर उपलब्ध हैं ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) के अंतर्गत, वर्तमान वित्त वर्ष सहित विगत पांच वर्षों में देश में 32 आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 149.065 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा) की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य बेसिन-स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रमुख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50 लाख रुपये और छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

भारत सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमकेएसवाई - एचकेकेपी के तहत जल निकायों के पुन: स्थापन के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की सहायता के रूप में 340.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फरवरी 2026 तक, जल निकायों के पुन: स्थापन के लिए विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार की सहायता (सीए) के रूप में 218.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य सरकारों सहित विभिन्न एजेंसियां आवश्यकतानुसार तालाबों और जल भंडारण क्षेत्रों पर अवैध अतिक्रमण की सीमा के संबंध में अध्ययन कर रही हैं।

*****